प्रेस नोट थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर दिनांक 09.11.2024

हत्या का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.11.2024 को रास्ते को लेकर अभियुक्तगण द्वारा लाठी डण्डा तथा धारदार हथियार से वादी मुकदमा व वादी मुकदमा के पुत्र को जान से मारने की नियत से मारा पीटा गया। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया। दिनांक 08.11.2024 को ईलाज के दौरान वादी मुकदमा के पुत्र के मृत्यु हो गयी जिसके संबंध में मुकदमा उपरोक्त में 103(1) भा0न्या0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विशाल मल्ल पुत्र विनोद मल्ल निवासी ग्राम देवापार डुगर्ड्झ्या थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 722/2024 धारा 109,115(2),351(2),352 भा0न्या0सं0 व बढ़ोत्तरी धारा 103(1) भा0न्या0सं0 थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

- 1. थानाध्यक्ष विशाल कुमार उपाध्याय थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
- 2. उ0नि0 विनोद कुमार थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
- 3. उ0िन0वैभव मिश्रा थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
- 4. कां0 रजनीश गुप्ता थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर